न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D- 25/2017 श्री श्रवण बनाम श्री सुरेश

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ दिनांक 15–06–2016 प्रकरण संख्या 152/2015 रेवेन्यू वाद ——————	
26–2–2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में हस्ब दफा–5 जाब्ता मयाद के आवेदन वर्णित तथ्यों व अखण्डित शपथ पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपील मेमों, सुनी गई बहस व पत्रावली के रेकर्ड आधार पर अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 18–12–2015 को अपीलान्ट के पिता हीरा की मृत्यु के कारण वादी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा आदेश–22, नियम–4 जाब्ता दीवानी का आवेदन सशपथ पेश किया जा चुका था। उक्त आवेदन के लम्बित होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के कायम मुकाम को सूचित किये बिना तथा विभाजन के दौरान भी विभाजन योजना प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तैयार करते समय अपीलान्ट को बिना सुने तथा तहसीलदार से पृथक अनाधिकृत पटवारी द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट के पिता हीरा का कायम मुकाम आवेदन दिनांक 18–12–2015 को प्रस्तुत होकर अपीलान्ट को बिना कायम मुकाम संस्थित किये अधिनसथ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव जो कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकृत तहसीलदार से पृथक पटवारी द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15–6–2016 को अंतिम डिक्री पारित की, जो	

कि प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनिस्थ न्यायालय की अंतिम डिक्री दिनांक 15–6–2016 अपास्त की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट के पिता हीरा के कायम मुकाम आवेदन पर विधिवत निर्णय पारित करे तथा तद्नुसार विधि के आलोक में वांछनीय होने पर अधिकृत व सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में सभी पक्षकारान को सूचित कर विभाजन प्रस्ताव तलब कर उभयपक्षों को आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर देकर, यदि आपत्तियां प्राप्त होती है, तो उनका विधिक निस्तारण सुनिश्चित कर प्रकरण में अंतिम डिक्री पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–4–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26–02–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D- 25/2017 श्री श्रवण बनाम श्री सुरेश

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0...... .... उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........27.............. माह ....02........... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील					
2. स्टाम्प वकालत नामा.......					
3. इजराय हुक्मनामा					
4. वकील फीस बाबत					
मीजान					
.					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D- 25/2017 श्री श्रवण बनाम श्री सुरेश

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य –2	**बनाम**	श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुर्ख्खे...........08.............. माह ....07........... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0. 800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .... 6. स्टाम्प वकालत नामा....... 7. इजराय हुक्मनामा .... 8. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।